भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *149

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

रोजगार सृजन एवं बेरोजगारी भत्ता

***149. श्री मुरारी लाल मीना:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्यवार कितनी नौकरियां सृजित और प्रदान की गईं तथा उनमें आरक्षित पद कितने हैं;

(ख) क्या सरकार का बेरोजगार युवाओं को कोई बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो बेरोजगारी भत्ता किस प्रकार प्रदान किया जा रहा है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"रोजगार सृजन एवं बेरोजगारी भत्ता" के संबंध में श्री मुरारी लाल मीना द्वारा दिनांक 10.03-2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *149 **के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (घ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं का रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

(% **में)**

वर्ष	**डब्ल्यूपीआर**
2020-21	36.1
2021-22	36.8
2022-23	40.1
2023-24	41.7

स्रोत: पीएलएफएस**,** एमओएसपीआई

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में पिछले कुछ वर्षों में युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए रोजगार दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध में दिया गया है।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.7 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत**,** रोजगार गंवाने वाले बीमित कामगारों को उनकी पात्रता के अनुसार बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25**%** से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है**,** जो 90 दिनों तक देय है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 10.03.2025 के तारांकित प्रश्न संख्या *149 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)			
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आंध्र प्रदेश	40.2	40.6	40.7	37.7
अरुणाचल प्रदेश	24.3	20.0	35.1	40.0
असम	31.3	37.6	44.6	44.0
बिहार	21.3	21.8	27.0	31.2
छत्तीसगढ	45.3	47.9	55.6	57.8
दिल्ली	31.9	34.1	33.2	33.3
गोवा	31.2	30.1	36.6	33.5
गुजरात	44.8	47.3	50.3	55.8
हरियाणा	31.6	28.7	30.8	34.6
हिमाचल प्रदेश	49.4	51.3	54.6	52.9
झारखंड	46.1	49.2	46.7	49.3
कर्नाटक	39.3	37.1	40.5	38.1
केरल	25.3	28.9	28.9	28.5
मध्य प्रदेश	47.0	44.7	49.8	56.6
महाराष्ट्र	36.5	38.0	39.6	40.1
मणिपुर	17.4	18.7	26.3	24.3
मेघालय	37.5	38.8	41.6	53.1
मिजोरम	28.3	25.0	25.1	22.5
नागालैंड	21.5	31.3	38.9	36.5
ओडिशा	37.5	36.3	42.2	46.3
पंजाब	33.8	37.0	39.2	37.8
राजस्थान	38.2	37.6	41.1	44.1
सिक्किम	46.0	50.2	47.2	52.6
तमिलनाडु	35.3	34.5	32.9	35.0
तेलंगाना	35.2	38.2	36.3	40.7
त्रिपुरा	33.2	34.2	36.4	43.9
उत्तराखंड	30.9	32.3	37.5	44.2
उत्तर प्रदेश	33.1	34.7	38.5	39.0
पश्चिम बंगाल	39.7	39.1	43.3	44.6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	42.4	39.2	45.9	43.3
चंडीगढ़	27.8	29.6	34.3	44.9
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	40.0	57.9	60.9	56.9
जम्मू एवं कश्मीर	33.4	40.2	41.2	40.2
लद्दाख	14.3	29.1	25.0	31.0
लक्षद्वीप	19.4	19.4	21.0	31.4
पुडुचेरी	31.3	35.8	31.6	36.5
अखिल भारत	**36.1**	**36.8**	**40.1**	**41.7**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई